

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या- 62169 / दस लाइसेंस-77 / बीयर फुटकर नियमावली / 2018-19
इलाहाबाद, 28 मार्च, 018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना सं० 12011/दस-लाइसेंस-77/इलाहाबाद 21 मार्च, 2001 (समय समय पर यथासंशोधित) द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली-2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (चौदहवां संशोधन) नियमावली-2018

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ

- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी,
(2) यह नियमावली दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी।

नियम-2-का संशोधन

- उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>2-परिभाषाएं- जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो, इस नियमावली में:-</p> <p>(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,</p> <p>(ख) (एक) "बीयर" में एल, स्टाउट, पोर्टर, साइडर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किण्वित शराब जिसकी तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी के मध्य है, सम्मिलित हैं,</p> <p>(दो) "दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य प्रतिफल के उस भाग से है जो अंतरिम लाइसेंस के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी दर से देय होगी जैसी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय। दैनिक लाइसेंस फीस की धनराशि दुकान के लिये लाइसेंस फीस के प्रति समायोजित की जा सकेगी।</p> <p>(ग) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने</p>	<p>2-परिभाषाएं- जब तक विषय या संदर्भ से कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-</p> <p>(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,</p> <p>(ख) (एक) "बीयर" में एल, स्टाउट, पोर्टर, साइडर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किण्वित शराब जिसकी तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी के मध्य है, सम्मिलित हैं,</p> <p>(दो) "दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य प्रतिफल के उस भाग से है जो अंतरिम लाइसेंस के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी दर से देय होगी जैसी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय।</p> <p>(ग) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने</p>

<p>वाले वित्तीय वर्ष से है।</p> <p>(घ) "परिवार" का तात्पर्य और इसमें दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहिता पुत्री/पुत्रियां तथा आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं।</p> <p>(ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्रों से हैं।</p> <p>(च) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है।</p> <p>(छ) लाइसेंस फीस- का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24-क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से बीयर की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग के लिये लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है,</p> <p>परन्तु यह कि यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष वार्षिक अवधि के लिये किया जाता है, तो :-</p> <p>(1) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन प्रथम त्रैमास (01 अप्रैल से 30 जून) में किया जाता है, तो निर्धारित सम्पूर्ण वार्षिक लाइसेंस फीस देय होगी।</p> <p>(2) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन द्वितीय त्रैमास (01 जुलाई से 30 सितम्बर) में किया जाता है, तो वार्षिक लाइसेंस फीस का समतुल्य 3/4 भाग देय होगा।</p> <p>(3) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन तृतीय त्रैमास (01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर) में किया जाता है, तो वार्षिक लाइसेंस फीस का समतुल्य 1/2 भाग देय होगा।</p> <p>(4) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन चतुर्थ त्रैमास (01 जनवरी से 31 मार्च) में किया जाता है, तो वार्षिक लाइसेंस फीस का समतुल्य 1/4 भाग देय होगा।</p> <p>(ज) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित धनराशि से है, जिसे राज्य कोष में ब्याज रहित प्रतिभूति के रूप में नकद जमा करना होगा तथा जो राज्य सरकार के समस्त</p>	<p>वाले वित्तीय वर्ष से है।</p> <p>(घ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहिता पुत्री/पुत्रियां तथा आश्रित माता-पिता से है और इसमें वे सम्मिलित हैं।</p> <p>(ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्रों से हैं।</p> <p>(च) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है।</p> <p>(छ) लाइसेंस फीस- का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24-क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग के लिये लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है,</p> <p>परन्तु यह कि यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष वार्षिक अवधि के लिये किया जाता है, तो :-</p> <p>(1) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन प्रथम त्रैमास (01 अप्रैल से 30 जून) में किया जाता है, तो निर्धारित सम्पूर्ण वार्षिक लाइसेंस फीस संदेय होगी।</p> <p>(2) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन द्वितीय त्रैमास (01 जुलाई से 30 सितम्बर) में किया जाता है, तो वार्षिक लाइसेंस फीस का समतुल्य 3/4 भाग संदेय होगा।</p> <p>(3) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन तृतीय त्रैमास (01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर) में किया जाता है, तो वार्षिक लाइसेंस फीस का समतुल्य 1/2 भाग संदेय होगा।</p> <p>(4) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन चतुर्थ त्रैमास (01 जनवरी से 31 मार्च) में किया जाता है, तो वार्षिक लाइसेंस फीस का समतुल्य 1/4 भाग संदेय होगा।</p> <p>(ज) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि से है, जिसे अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से राजकीय कोषागार में ब्याज रहित प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा तथा जो</p>
--	--

<p>दावों एवं देयों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है।</p> <p>(झ) “कम तीव्रता के मादक पेय” का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय।</p> <p>(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में कमशः उनके लिए समनुदेशित हों।</p>	<p>राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है।</p> <p>(झ) “कम तीव्रता के मादक पेय” का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय।</p> <p>(ञ) “अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क” का तात्पर्य अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 के गुणांक में अगले स्तर पर लाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो अतिरिक्त एक्स आसवनी मूल्य के रूप में यवासवनी स्तर पर संदेय होगी और यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से वसूली योग्य होगी तथा जो बाद में थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर अनुज्ञापी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी।</p> <p>(ट) ‘धरोहर धनराशि’ का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।</p> <p>(ठ) ‘अनुक्रम’ का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से अनुज्ञापी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।</p> <p>(ड़) “पोर्टल” का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड करने के प्रयोजन से है।</p> <p>(ढ) “ऋणशोधन क्षमता” का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने वाले आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय मानदण्ड से है।</p> <p>(ण) “व्यक्ति” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो।</p> <p>(त) “व्यवस्थापन” का तात्पर्य ई/लाटरी के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस</p>
---	---

	<p>एवं प्रज्ञापन देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।</p> <p>(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।</p>
--	--

नियम-4 का संशोधन 3- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>नियम-4-फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या व स्थान के निर्धारण की शक्ति-</p> <p>राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी। दुकानों की स्थिति समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली,1968 के प्राविधानों के अनुसार होगी:</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा किसी आबकारी वर्ष के दौरान नई दुकानों का सृजन जिले के लाइसेंस प्राधिकारी की मांग पर किया जा सकता है।</p>	<p>नियम-4-फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या व स्थान के निर्धारण की शक्ति-</p> <p>राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विशिष्ट अनुदेशों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी। विद्यमान नियमावली के अनुसार प्रास्थिति सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से दुकान को भू-टैग किया जायेगा। दुकानों की स्थिति समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली,1968 के उपबन्धों के अनुसार होगी:</p> <p>परन्तु यह कि राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा किसी आबकारी वर्ष के दौरान नई दुकानों का सृजन जिले के लाइसेंस प्राधिकारी की मांग पर किया जा सकता है।</p>

नियम-5 का संशोधन 4- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>नियम-5- लाइसेंस की अवधि- लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, किन्तु अनुज्ञापन अनुज्ञापि की इच्छा पर अगले वर्ष के लिये ऐसे निबन्धन और शर्तों जैसा राज्य सरकार चाहे, पर नवीनीकृत अथवा विस्तारित किया जा सकेगा।</p>	<p>नियम-5- लाइसेंस की अवधि- लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी। अनुज्ञापन अनुज्ञापि की इच्छा पर अगले वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीनीकृत अथवा विस्तारित किया जा सकेगा।</p>

नियम-6 का संशोधन 5- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम-6- लाइसेंस, इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान करने पर ही निर्गत किया जायेगा ।	नियम-6 लाइसेंस स्वीकृत किया जाना- लाइसेंस, इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के ई-पैमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान करने पर प्रदान किया जायेगा। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी की वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करेगा, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया हो।

नियम-7 का संशोधन 6- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम-7- अनुज्ञापन स्वीकृति के लिये आवेदन- (क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार के पश्चात् इस प्रयोजन के लिये आवेदन आमंत्रित करेंगे। (ख) बीयर की फुटकर दुकानों, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, की सूची दुकानवार लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और उप आबकारी आयुक्त प्रभार के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। (ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र विहित प्रारूप में निम्न फोटो पहचानों में से एक के साथ दिए जायेंगे, (1) पासपोर्ट (2) ड्राइविंग लाइसेंस (3) आयकर पहचान पत्र (4) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक (5) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत	7-लाइसेंस स्वीकृति के लिए आवेदन- (क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार-प्रसार करने और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस प्रयोजनार्थ आवेदन आमंत्रित करेगा। (ख) बीयर की फुटकर दुकानों, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, की सूची दुकानवार लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और प्रभारी उप आबकारी आयुक्त के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी। (ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में विज्ञापित समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। (1) ऋणशोधन क्षमता प्रमाण (2) आधार कार्ड, (3) पैन कार्ड (4) गतवर्ष की आयकर विवरणी (5) विहित प्रारूप में शपथ पत्र की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

<p>विलेख आदि (6) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (7) पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक/पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र/ वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश। (8) रेलवे पहचान पत्र (9) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र (10) शस्त्र लाइसेंस (11) शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। (12) मतदाता पहचान पत्र।</p> <p>आवेदन पत्र प्रसंस्करण फीस के भुगतान पर जिला आबकारी अधिकारी, उप आबकारी आयुक्त, संयुक्त आबकारी आयुक्त और आबकारी आयुक्त कार्यालय से निर्गत किए जायेंगे।</p> <p>(घ) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिनों की संख्या से पहले न होगा।</p> <p>(ङ) यदि आबकारी आयुक्त द्वारा "उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए विशिष्ट जोनों का सीमांकन व विनियमन नियमावली, 2009" के उपबन्धों के अधीन विशिष्ट जोन का सीमांकन किया गया है तो इस क्षेत्र में इन्हीं नियमों के अन्तर्गत एकान्तिक विशेषाधिकार दिये जायेंगे। इस हेतु कोई व्यक्ति, शीर्ष सहकारी समिति/निगम, कम्पनी, भागीदारी फर्म आबकारी आयुक्त को अनुज्ञापन स्वीकृति हेतु आवेदन करेंगे। इसके लिये कन्सोर्टियम पात्र नहीं होगा।</p>	<p>राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस और धरोहर धनराशि व उस पर संदेय वैट/जी0एस0टी0 का भुगतान आन लाइन किया जायेगा।</p> <p>(घ) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिनों की संख्या से पहले न होगा।</p> <p>1/4³1/2 निकाल दिया गया।</p>
---	--

नियम-8 का संशोधन 7- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

<p style="text-align: center;">स्तम्भ-1 विद्यमान नियम</p>	<p style="text-align: center;">स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम</p>
<p>नियम-8 आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें- फुटकर बीयर की दुकानों के लाइसेंस के लिये पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होंगी- -अर्थात्- (क) भारत का नागरिक हो, या भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हों और उनके भागीदार ऐसी चार से अधिक फर्मों में भागीदार न हों, दोनों भागीदार भारत के नागरिक हों, दुकानों के आवंटन के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, परन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा धारित हो, तो उसके मृत्यु की दशा में उसका/उसके विधिक वारिस यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि संयुक्त रूप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसों) के साथ यदि अन्यथा पात्र हों, अनुज्ञापनधारी बना रहेगा या दोनो भागीदारों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (वारिसों) यदि अन्यथा पात्र हो, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। दोनों भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे। (ख) 21 वर्ष की आयु से अधिक हो। (ग) बकाएदार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के</p>	<p>8-आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें- फुटकर बीयर की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी- अर्थात्- (क) भारत का नागरिक हो, या दो से अनधिक आवेदक, अर्थात् एक व्यक्तिगत हैसियत से व दूसरा सह-आवेदक के साथ तथा साथ ही साथ दोनों भारत के नागरिक हों। भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये पात्र नहीं होगी। इसी भाँति थोक विक्रेता अथवा आसवनी/ मदिरा निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान के अनुज्ञापन धारण करने के लिये पात्र नहीं होंगे। दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक तथा सह-आवेदकों की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा। परन्तु यदि लाइसेंस किसी एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो उसके मृत्यु की दशा में उसका/उसके विधिक वारिस यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसों) के साथ यदि अन्यथा पात्र हों, अनुज्ञापनधारी बना रह सकेगा या दोनो व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (उत्तराधिकारी) यदि अन्यथा पात्र हो, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। व्यक्तियों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा जो सम्मिलित रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे। (ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो। (ग) बकाएदार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के</p>

<p>प्राविधानों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।</p> <p>(घ) "आबकारी दुकानों के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए विशिष्ट जोनों का सीमांकन व विनियमन नियमावली-2009" के उपबंधों के अधीन विशिष्ट जोन में बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों हेतु आवंटन के लिए आवेदकों के लिये निम्नलिखित पात्रताएं पूरी करनी होंगी:-</p> <p>(एक) आवेदक 21 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति हो सकता है, जो भारत का नागरिक हो। ऐसे आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल अधिवास-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(दो) आवेदक रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म या कम्पनी एक्ट 1956 के अधीन पंजीकृत कम्पनी हो सकती है। कन्सॉर्टियम इसके लिये पात्र नहीं होंगे। पंजीकृत कम्पनी की स्थिति में संगम अनुच्छेद, संगम ज्ञापन एवं निगमन प्रमाण पत्र तथा पंजीकृत भागीदार फर्म की स्थिति में पंजीकृत भागादारी विलेख की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।</p> <p>(तीन) आवेदक राज्य के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश राज्य की शीर्ष सहकारी समितियां /निगम होने चाहिए।</p> <p>(चार) आवेदक का शराब के थोक/फुटकर बिक्री के व्यापार में प्रोदभूत, चालू वित्तीय वर्ष को सम्मिलित करते हुए विगत तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 400 करोड़ रुपये का वार्षिक आवर्त होना चाहिए। आवर्त की गणना में थोक/फुटकर देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों एवं माडलशाप्स से मदिरा की बिक्री ही सम्मिलित होगी। इस आवर्त में मदिरा उत्पादन एवं विनिर्मित मदिरा की बिक्री सम्मिलित नहीं होगी। आवर्त के प्रमाण के रूप में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के आबकारी अथवा वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र</p>	<p>अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।</p> <p>(ग) आवेदक किसी एक दुकान के लिये स्वयं के नाम से एक तथा सह आवेदक के साथ कुल मिलाकर अधिक से अधिक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये पात्र होगा।</p> <p>(घ) निकाल दिया गया।</p>
--	--

<p>आवेदक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(पांच)आवेदक को अल्कोहल उत्पादक या मदिरा का निर्माता नहीं होना चाहिए।</p> <p>(छः) आवेदक को मदिरा के थोक अथवा फुटकर बिक्री के व्यापार के अनुज्ञापी के रूप में अनुभव होना चाहिए। अनुभव के साक्ष्यगत सबूत स्वरूप राज्य सरकार /केन्द्र शासित क्षेत्रों के आबकारी विभागों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनुज्ञापन की किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।</p> <p>(सात)आवेदक को आबकारी देयों का बकायेदार नहीं होना चाहिए एवं आबकारी लाइसेंस धारण करने हेतु अन्यथा अपात्र नहीं होना चाहिए।</p> <p>(आठ)आवेदक को किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत 100 करोड़ रु0 की वित्तीय क्षमता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(नौ) आवेदक को विशिष्ट मेरठ जोन की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। समस्त देशी शराब की दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स की लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के समतुल्य धरोहर धनराशि आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के अभिहित नाम से निर्गत बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से देय होगी, जो चयन न होने की दशा में वापसी योग्य होगी।</p> <p>(दस) आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस के रूप में किसी शिडयूल्ड बैंक द्वारा जारी रु0 10000/- (रु0 दस हजार) का आबकारी आयुक्त के अभिहित नाम के अधीन निर्गत बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर भी संलग्न करना होगा।</p> <p>(ड) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा—</p> <p>(एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसके किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।</p> <p>(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन</p>	<p>(ड) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा—</p> <p>(एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।</p> <p>(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में</p>
--	--

<p>नहीं किया गया है।</p> <p>(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्ध न किया गया हो।</p> <p>(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के 30 दिन के अन्दर यह दर्शाते हुये प्रस्तुत करना होगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।</p> <p>(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआ-छूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो।</p> <p>(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।</p> <p>(सात) यह कि वह ऋणशोधक है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।</p> <p>(आठ) यह है कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया करार/पट्टा/ढेका निरस्त कर दिया जाये।</p> <p>(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।</p>	<p>किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।</p> <p>(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्ध न किया गया हो।</p> <p>(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।</p> <p>(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।</p> <p>(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।</p> <p>(सात) यह कि वह ऋणशोधक है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।</p> <p>(आठ) यह कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया करार/पट्टा/ढेका/ अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा।</p> <p>(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।</p>
--	---

<p>(दस) यह कि वह चयन के तीन माह के अंदर पै नं० प्रस्तुत करेगा।</p> <p>(च) यह कि जिला आबकारी अधिकारी या आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करें। धरोहर धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापनी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि को अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा अन्य मामलों में चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा।</p> <p>(छ) यदि कोई अनुज्ञापनी अपनी विदेशी मदिरा की दुकान में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ भागीदारी चाहता हो तो वह लाइसेंस प्राधिकारी को, ऐसे व्यक्तियों, जिनके साथ वह भागीदारी चाहता हो, ऐसे भागीदार या भागीदारों को खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्धारित शर्तों को पूरी करनी होगी और खण्ड (घ) के उप खण्ड—(दो), (तीन), (चार), (पाँच), (छः) और (सात) के सबूत के रूप में किसी नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दुकान की लाइसेंस फीस की एक प्रतिशत के बराबर धनराशि सरकारी कोषागार में जमा कर दी गई हो तो लाइसेंस प्राधिकारी यथा स्थिति व्यक्ति या व्यक्तियों को दुकान के भागीदार के रूप में अनुज्ञा दे सकता है।</p>	<p>जाय। राज्य सरकार का कर्मचारी भी अनुज्ञापन स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।</p> <p>(दस) निकाल दिया गया।</p> <p>(च) यह कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित धरोहर धनराशि आबकारी विभाग के राजकीय खाते में आन लाइन जमा करेगा। अनुज्ञापनी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि को अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर ली जायेगी। अन्य मामलों में चयन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी होने के उपरान्त आवेदक को इलेक्ट्रानिक भुगतान के माध्यम से शीघ्र वापस कर दिया जायेगा।</p> <p>(छ) निकाल दिया गया।</p> <p>(ज) यह कि वह ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र का धारक है तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता की मालियत अनुज्ञापन के लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। सह आवेदक होने की दशा में एक जिले में अनुज्ञापन स्वीकृति के लिये अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता के लिये निर्धारित मानदण्ड को दोनों व्यक्तिगत रूप से पूरा करेंगे।</p>
---	--

नियम-9 का संशोधन 8- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम-9 लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति-बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति के सदस्य निम्नलिखित	नियम-9 लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति-बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति के सदस्य निम्नलिखित

होंगे:- अर्थात् (एक) जिले का कलेक्टर (दो) जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (तीन) जिले का जिला आबकारी अधिकारी	अध्यक्ष सदस्य सदस्य/सचिव	होंगे:- अर्थात् (एक) जिले का कलेक्टर (दो) जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (तीन) जिले का जिला आबकारी अधिकारी (चार) आबकारी आयुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी	अध्यक्ष सदस्य सदस्य/सचिव सदस्य
---	--	--	---

नियम-10 का संशोधन 9-

उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>नियम-10 लाइसेंसधारी का चयन-</p> <p>(क) जिला आबकारी अधिकारी सभी प्राप्त आवेदनों की एक सूची अनुज्ञापन के लिये गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिये संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा ।</p> <p>(ख) उक्त समिति आवेदकों की सूची में से अनुज्ञापियों का चयन करेगी, यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिये एक से अधिक अभ्यर्थी उपयुक्त पाये जाते हैं, तो समिति ऐसी दुकान के लिये अनुज्ञापी का चयन सार्वजनिक लाटरी से करेगी ।</p> <p>(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएँ पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु कदम उठायेगा।</p>	<p>10-लाइसेंसधारी का चयन-</p> <p>(क) आवेदकों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर ई-लाटरी के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और पात्र एवं अपात्र सूची ई-लाटरी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिये अपात्रता के कारणों का उल्लेख करते हुये तैयार करेगा और ई-लाटरी हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।</p> <p>(ख) उक्त समिति आवंटन हेतु पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। पात्र आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये अनुज्ञापी का चयन, कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। सभी श्रेणी की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर तथा माडल शाप सहित अनधिक दो दुकानें किसी भी आवेदक के पक्ष में अथवा सह आवेदक के साथ एक जिले में आवंटित की जायेंगी।</p> <p>(ग) यदि चयनित आवेदक अपेक्षित धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएँ पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु कदम उठायेगा।</p>

<p>(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तत्काल कदम उठायेगा।</p> <p>प्रतिबंध यह है कि "उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए विशिष्ट जोनों का सीमांकन व विनियमन नियमावली-2009" के उपबंधों के अधीन विशिष्ट जोन की बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापियों की चयन प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-</p> <p>(एक) आबकारी आयुक्त, उ०प्र० द्वारा समुचित प्रचार-प्रसार कर एवं दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।</p> <p>(दो) आबकारी आयुक्त, उ०प्र० द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर पात्र आवेदकों की पहचान की जायेगी।</p> <p>(तीन) एक से अधिक पात्र आवेदक चिन्हित होने की दशा में सफल आवेदक का चयन लाटरी द्वारा किया जायेगा।</p> <p>(चार) ऐकिक पात्र आवेदक होने की दशा में उसे अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु चयनित किया जायेगा।</p> <p>विशिष्ट जोन हेतु उपरोक्तानुसार सफल अभ्यर्थी/ इकाई सीधे नियमानुसार सुसंगत अभिलेखों के साथ लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन करेगी। लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे चयनित अभ्यर्थी/इकाई को अनुज्ञापन प्रदान कर देंगे।</p>	<p>(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।</p> <p>निकाल दिया गया।</p>
---	---

नियम-11 का संशोधन 10- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>नियम-11-व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण:- जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 15 दिन के अन्दर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें अनुज्ञापियों के नाम</p>	<p>नियम-11-व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण:- जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 7 दिन के अन्दर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें अनुज्ञापियों के नाम और पते,</p>

और पते, प्रतिभूति की धनराशि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा।	प्रतिभूति की धनराशि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा तथा उसका विवरण विहित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा आबकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
--	---

नियम-12 का संशोधन 11- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान-यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है, तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के 03 कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के 10 कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 दिनों के भीतर जमा कर दें।</p> <p>आगामी आबकारी वर्ष हेतु नवीनीकरण के माध्यम से माह मार्च में व्यवस्थित होने वाली दुकान का लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि आवेदन करने के समय जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग नवीनीकरण के पश्चात् 10 कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि नवीनीकरण के पश्चात् 20 कार्यदिवसों के भीतर जमा करेगा।</p> <p>परन्तु आगामी वर्ष हेतु मार्च से पूर्व नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित होने वाली दुकान का लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस की आधी धनराशि आवेदन करने के समय जमा करेगा तथा प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग नवीनीकरण के पश्चात् 10 कार्यदिवसों के भीतर जमा करेगा। ऐसा लाइसेंसधारी अवशेष लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि चलित आबकारी वर्ष के 15 मार्च के अन्त तक जमा करेगा।</p> <p>यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल</p>	<p>12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान-यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी रूप में चयनित किया जाता है तो वह अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के 06 कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के 10 कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा करेगा। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा।</p> <p>अनुवर्ती वर्ष में दुकान का अनुज्ञापन अनुज्ञापनी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा।</p> <p>यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, जो उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान का पुनर्व्यवस्थापन तत्काल सरकार द्वारा विहित रीति से कर दिया जायेगा।</p>

पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

नियम-13 का संशोधन 12- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>नियम-13 बीयर का उठान- (क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी बीयर के अतिरिक्त कम तीव्रता के मादक पेय भी लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क और उपकर जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जाय, जमा करने के पश्चात् जनपद के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2-2बी०) से प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जनपद में वि०श०-2/2बी० अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं है, जो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जनपद/जनपदों के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2/2बी०) से बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय प्राप्त करेगा।</p> <p>आयातित बीयर की आपूर्ति जनपद/प्रभार/राज्य के एफ०एल०-2डी० अनुज्ञापनी से प्राप्त करेगा। अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।</p> <p>(ख) अधिकतम फुटकर मूल्य- बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबुलों पर अंकित फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।</p>	<p>नियम-13 मदिरा का उठान- (क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी कम तीव्रता के मादक पेय सहित बीयर के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) और उपकर जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जाय, जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2बी) से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि०श०-2बी अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी (वि०श०-2बी) से कम तीव्रता के मादक पेय सहित बीयर की आपूर्ति प्राप्त करेगा।</p> <p>आयातित बीयर की आपूर्ति जिला/प्रभार/राज्य के एफ०एल०-2डी० अनुज्ञापनी से प्राप्त करेगा। अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।</p> <p>(ख) अधिकतम फुटकर मूल्य- बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबुलों पर अंकित फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा और यदि ऐसा करता पाया जायेगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।</p>

नियम-14 का संशोधन 13- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>14-बिक्री की अवधि एवं दुकानों की बन्दी- अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के</p>	<p>14-बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी- अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित</p>

लिये यथा अधिसूचित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर प्रातः 10:00 बजे से लेकर रात्रि 11:00 बजे तक बिक्री के लिये खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये सुसंगत कानूनों के प्राविधानों के अधीन दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिये कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।	तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर मध्याह्न 12 से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कानून के उपबन्धों के अधीन दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
---	--

नियम-15 का संशोधन 14- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम-15- लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टॉक का निस्तारण- लाइसेंसधारी द्वारा अनुज्ञापन अवधि की समाप्ति पर बीयर की अतिशेष और अबिक्रीत मात्रा की घोषणा लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष अगले दिन की जायेगी और लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिवस के पाँच बजे शाम तक जिला के सम्बन्धित थोक बिक्रेता को उसके द्वारा लौटा दी जायेगी। लाइसेंसधारी केवल क्रय मूल्य जिसमें शुल्क और अन्य कर सम्मिलित नहीं होगा, पाने का हकदार होगा। ऐसे स्टॉक का निस्तारण थोक अनुज्ञापी (एफ0एल0-2बी) द्वारा इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त के आदेश के अनुरूप किया जायेगा।	नियम-15- लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टॉक का निस्तारण- लाइसेंसधारी द्वारा अनुज्ञापन अवधि की समाप्ति पर बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय की अबिक्रीत मात्रा की घोषणा लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष अगले दिन की जायेगी और उसके द्वारा सम्बन्धित थोक बिक्रेता को अपरान्ह 5:00 तक वापस कर दी जायेगी। ऐसे स्टॉक का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से किया जायेगा।

नियम-17 का संशोधन 15- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम-17 अनुज्ञापन का निलम्बन और निरस्तीकरण और शास्तियाँ- (1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है- (क) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई बोटल पायी जाती है जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यकरूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सिक्वोरिटी होलोग्राम नहीं लगाया गया है, (ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि (जिसके लिये अनुज्ञापन	नियम-17 अनुज्ञापन का निलम्बन और निरस्तीकरण और शास्तियाँ- (1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है- (क) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई बोटल पायी जाती है जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी विभाग द्वारा सम्यकरूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड नहीं लगाया गया है, (ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि (जिसके लिये अनुज्ञापन

<p>स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है,</p> <p>(ग) यदि अधिनियम अथवा नियमों के प्राविधानों के विपरीत अनुज्ञापी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक भेषज पायी जाती है।</p> <p>(घ) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें दिया गया कथन असत्य पाया जाता है।</p> <p>(ङ) यदि अनुज्ञापी अधिनियम के अधीन किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दोष सिद्ध किया गया है। और</p> <p>(च) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई ऐसी बोटल पाई जाती है जिस पर अधिकतम फुटकर मूल्य अंकित नहीं है तथा</p> <p>(छ) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लाइसेंसधारण किये हुए है।</p> <p>(2) लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल अनुज्ञापन निलम्बित कर देगा, और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति जमा को समपहृत करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को यदि वह ऐसा चाहे तो सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा।</p> <p>(3) लाइसेंसधारी इस नियम के अधीन अनुज्ञापन के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा।</p> <p>(4) यदि अनुज्ञापन निरस्त किया जाता है तो लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे भविष्य में कोई आबकारी लाइसेंसधारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।</p>	<p>स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है,</p> <p>(ग) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें दिया गया कथन असत्य पाया जाता है।</p> <p>(घ) यदि अनुज्ञापी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त राजस्व से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दोष सिद्ध किया गया है।</p> <p>(ङ) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई ऐसी बोटल पाई जाती है जिस पर अधिकतम फुटकर मूल्य अंकित नहीं है तथा</p> <p>(च) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लाइसेंसधारण किये हुए है।</p> <p>(छ) यदि यह पाया जाता है कि बोटलों/पात्रों के लेबिलों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से प्रभारित किया गया है।</p> <p>(2) लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल अनुज्ञापन निलम्बित कर देगा, और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति जमा को समपहृत करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को यदि वह ऐसा चाहे तो सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा।</p> <p>(3) लाइसेंसधारी इस नियम के अधीन अनुज्ञापन के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा।</p> <p>(4) यदि अनुज्ञापन निरस्त किया जाता है तो उसकी जमा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और लाइसेंसधारी को किसी प्रतिकर या प्रतिदाय का दावा करने का हक नहीं होगा। ऐसे लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे भविष्य में कोई आबकारी लाइसेंसधारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।</p>
---	---

नियम-17अ का संशोधन 16- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-17अ के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>17अ-अन्तरिम व्यवस्थापन- यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित दरों पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन एक बार में अधिकतम् 14 दिनों के लिए या नियमित व्यवस्थापन तक दिनांक, जो भी पहले हो, कर सकता है:</p> <p>परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी आयुक्त की अनुमति प्राप्त किए बिना दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन दो बार से अधिक नहीं करेगा।</p> <p>अग्रतर यह भी है कि विशिष्ट जोन में प्रकरण निर्णय के लिये आबकारी आयुक्त को संदर्भित किया जायेगा।</p> <p>अन्तरिम व्यवस्थापन के दौरान इस प्रकार वसूल की गई दैनिक लाइसेंस फीस की धनराशि का समायोजन दुकान के नियमित व्यवस्थापन के समय लाइसेंस फीस की धनराशि के प्रति कर दिया जायेगा।</p>	<p>17अ. अन्तरिम व्यवस्थापन- यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित दरों के उच्चतम प्रस्ताव पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन एक बार में अधिकतम् 14 दिनों के लिए या नियमित व्यवस्थापन दिनांक, जो भी पहले हो, तक कर सकता है। एक दुकान पर दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।</p> <p>परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी आयुक्त की अनुमति प्राप्त किए बिना दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन दो बार से अधिक नहीं करेगा।</p>

नियमावली के साथ संलग्न अनुज्ञापन 17-
प्रपत्र-एफ0एल0-5(ख) का संशोधन

उक्त नियमावली, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र के स्थान पर
स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम		
<p style="text-align: center;">प्रपत्र एफ0एल0-5(ख)</p> <p>भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोटलों में बीयर (एल0एल0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस</p> <p>लाइसेंस संख्या..... वर्ष..... दुकान का नाम.....जिला..... लाइसेंस फीस रु0(अंको में).....(शब्दों में) प्रतिभूति धनराशि रु0(अंको में)..... (शब्दों में)..... भू-ग्रहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)..... उत्तर..... दक्षिण..... पूरब..... पश्चिम..... लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते (1)..... पुत्र.....निवासी..... (2)..... पुत्र.....निवासी..... विक्रेता के नाम, पिता के नाम और पते 1)..... पुत्र.....निवासी..... (2)..... पुत्र.....निवासी..... (3)..... पुत्र.....निवासी..... (4)..... पुत्र.....निवासी.....</p>	<p style="text-align: center;">प्रपत्र एफ0एल0-5(ख)</p> <p>भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोटलों में बीयर (एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">आवेदक का फोटो</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">सह-आवेदक का फोटो</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">दुकान का फोटो</p> <p>दुकान का अक्षांश/देशान्तर..... लाइसेंस संख्या.....वर्ष..... दुकान का नाम.....जिला..... लाइसेंस फीस रुपया(अंकों में).....(शब्दों में) प्रतिभूति धनराशि रु0(अंकों में).....(शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) उत्तर :..... दक्षिण :..... पूरब :..... पश्चिम :..... लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते (1).....पुत्र.....निवासी..... (2).....पुत्र.....निवासी..... विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते (1).....पुत्र.....निवासी..... (2).....पुत्र.....निवासी..... (3).....पुत्र.....निवासी..... (4).....पुत्र.....निवासी.....</p>	आवेदक का फोटो	सह-आवेदक का फोटो
आवेदक का फोटो	सह-आवेदक का फोटो		

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोटलों, (650 मि०ली०), (500 मि०ली०), (330 मि०ली०) और (300 मि०ली०) में बीयर (एल०ए०बी० सहित) एवं 1000 मि०ली०, 275 मि०ली० की धारिता में केवल एल०ए०बी० की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जनपद..... के अन्तर्गत..... स्थान, पुलिस थाना..... तहसील..... के लिये दिनांक से 31 मार्च 20..... हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन आधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा।

निबन्धन एवं शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी, बीयर (एल०ए०बी० सहित) की आपूर्ति, जनपद के एफ०एल०-2 व एफ०एल०-2ख थोक लाइसेंस से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए बीयर (एल०ए०बी० सहित) की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जनपद में वि०श०-2/2बी० अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जनपद/जनपदों के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2/2बी०) से बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा।
- 2- अनुज्ञापी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेंगे।
- 3- अनुज्ञापित परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।
- 4- किसी भी व्यक्ति को 650 मि०ली०, 500 मि०ली०, 330 मि०ली० और 300 मि०ली० में बीयर व एल०ए०बी०

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोटलों, (650 मि०ली०), (500 मि०ली०), (330 मि०ली०) और (300 मि०ली०) में बीयर एवं 1000 मि०ली०, 275 मि०ली० की धारिता में केवल एल०ए०बी० की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला..... के अन्तर्गत..... स्थान, पुलिस थाना..... तहसील..... के लिये दिनांक से 31 मार्च 20..... हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह अनुज्ञापन निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

निबन्धन एवं शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी, बीयर (एल०ए०बी० सहित) की आपूर्ति, जिला के थोक लाइसेंस धारक (विदेशी मदिरा-2ख) एवं जिला, प्रभार, राज्य के एफ०एल०-2डी अनुज्ञापी से बीयर (एल०ए०बी० सहित) की आपूर्ति, समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए बीयर की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि०श०-2ख अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2ख) से बीयर (एल०ए०बी० सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा। अनुज्ञापी शराब के मूल्य सभी करों, प्रतिफल शुल्क, उपकर इत्यादि सहित का भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से करेगा।
- 2- अनुज्ञापी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेंगे।
- 3- अनुज्ञापित परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।
- 4- किसी भी व्यक्ति को 650 मि०ली०, 500 मि०ली०, 330 मि०ली० और 300 मि०ली० में बीयर व

<p>तथा अतिरिक्त रूप से केवल एल0ए0बी0 के लिये 1000मि0ली0 व 275मि0ली0 की मानक बोतलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी। 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई बिक्री नहीं की जायेगी।</p> <p>5- बीयर/ एल0ए0बी0 की बोतलों या कैंस पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर बिक्री का लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।</p> <p>6- उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों एवं कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयर की बिक्री की जायेगी। जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा होलोग्राम या सुरक्षात्मक होलोग्राफिक श्रिंक स्लीव्स लगे होंगे, जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया हो।</p> <p>7- लाइसेंसधारी विहित रजिस्टर (एफ0एल0-25ब) जिसे कि भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, में नियमित एवं सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।</p> <p>8- लाइसेंसधारी बीयर/ एल.ए.बी. के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।</p> <p>9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, बीयर का अनुज्ञापित धारक फुटकर बिक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी।</p> <p>10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।</p>	<p>एल0ए0बी0 तथा अतिरिक्त रूप से केवल एल0ए0बी0 के लिये 1000मि0ली0 व 275मि0ली0 की मानक बोतलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी। 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई बिक्री नहीं की जायेगी।</p> <p>5- बीयर/ एल0ए0बी0 की बोतलों या कैंस पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर बिक्री का लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।</p> <p>6- उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों एवं कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयर की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।</p> <p>7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसका वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।</p> <p>8- लाइसेंसधारी बीयर/एल0ए0बी0 के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा। उसे ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों के अवलोकन के लिये आवश्यक यंत्र रखना होगा।</p> <p>9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, बीयर का अनुज्ञापित धारक फुटकर बिक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:- "दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।</p> <p>10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा</p>
--	--

<p>11- लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग व 6 लीटर की मात्रा से अधिक कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।</p> <p>12- 21 वर्ष की आयु से नीचे के किसी व्यक्ति उप निरीक्षक से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को बिक्री नहीं की जायेगी।</p> <p>13- लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोटलों व उसके लेबुलों, सुरक्षा होलोग्राम/श्रिंक स्लीव, पिलफर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।</p> <p>14- लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, ईत्र, होलोग्राम/श्रिंक स्लीव, लेबिल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर(हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।</p> <p>15- सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार के द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।</p> <p>16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। घूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।</p> <p>17- अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 9:00 बजे से 11:00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।</p> <p>18- लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों जिसके लिये कि लाइसेंस दिया गया है।</p>	<p>निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>11- लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग व 6 लीटर की मात्रा से अधिक कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।</p> <p>12- 21 वर्ष की आयु से नीचे के किसी व्यक्ति उप निरीक्षक से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को बिक्री नहीं की जायेगी।</p> <p>13- लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोटलों या कैनों व उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोड या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।</p> <p>14- लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।</p> <p>15- सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।</p> <p>16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। घूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।</p> <p>17- अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर मध्याह्न 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।</p> <p>18- लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये कि लाइसेंस दिया</p>
---	---

<p>19- लाइसेंसधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।</p> <p>20- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों के मानने के लिए बाध्य होगा।</p> <p>दिनांक</p> <p>जिला.....</p> <p style="text-align: right;">लाइसेंस प्राधिकारी.</p>	<p>गया है।</p> <p>19- लाइसेंसधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।</p> <p>20- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।</p> <p>दिनांक</p> <p>जिला.....</p> <p style="text-align: right;">लाइसेंस प्राधिकारी</p>
--	--

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।